




उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारा (राज.)

ना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
26/20	212 RTA	दालाडा	६८३१
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
प्रताप	बनाम	जयराम	

वकील :-

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
6/20	<p>अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट विरुद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण गण को जर्जे सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 5/8/20 को पेश हो।</p>	
5/20	<p>आज के कार्य में सर्वेक्षण के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 21/9/20 को पेश हो।</p> <p align="right">  न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा), </p>	
2/20	<p>आज के कार्य में सर्वेक्षण के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 22/9/20 को पेश हो।</p> <p align="right">  न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा), </p>	
29/20	<p>आज के कार्य में सर्वेक्षण के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 21/10/20 को पेश हो।</p> <p align="right">  न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा), </p>	



दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
24.6.24	<p>पत्रावली पेशा हुई। ककुवाल करीब 3 पत्र / जवाब पत्र नहीं हुआ। समय चाहते हैं। पत्रावली वाले जवाब दिनांक 8.7.24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">✍</p>
8.7.24	<p>पत्रावली पेशा हुई। ककील प्राथी एवं स्वयं प्राथी व्यापारलय में उपस्थित नहीं। ककु - ककु कर तीन बार हावाज लगावाई गई। प्राथी स्वयं एवं ककील प्राथी कोई उपस्थित नहीं हुए। प्रकरण बहुत हाजरी बहुत परती के सारिज किया जाता है। पत्रावली फंडाल मुआर होकर बाद तामील तामील के तामिल फंडर हो।</p> <p style="text-align: right;">✍</p>